संख्या-17/2015/703/11-सं०वि०क०नि०-7-15-500(8)/10

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबंधन, उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2015

विषय- सरकारी विभागों एवं उसके अधीन कार्यरत सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संगठनों द्वारा निष्पादित विक्रय/पट्टा विलेखों में वर्णित धनराशि के किश्तों में दिये जाने की स्थिति में देय ब्याज पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1411/11-क0नि0-7/500(8)/10, दिनांक 16 जनवरी, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें लीज के विलेखों में प्रीमियम की धनराशि में से कुछ धनराशि के भुगतान के उपरान्त प्रीमियम की अवशेष धनराशि का भुगतान ब्याज सहित किश्तों में होने पर भविष्य में अवशेष प्रीमियम की धनराशि पर देय ब्याज को सम्मिलित करते हुए स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किये जाने का निर्देश दिया गया है। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्र संख्या-नौएडा/औद्योगिक/2014/5428, दिनांक 05.11.2014 द्वारा पुन: यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 23 के अनुरूप पट्टा प्रलेखों पर केवल प्रीमियम की धनराशि एवं प्रथम 11 वर्ष के लिये आरक्षित लीज रेंट के योग पर ही स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होना चाहिए तथा इसके इतर ब्याज की धनराशि पर भी स्टाम्प शुल्क की माँग किया जाना उचित नहीं है।

2. उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् परीक्षण के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संगठनों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों के विक्रय किये जाने अथवा पट्टे पर दिये जाने पर निष्पादित किये जाने वाले हस्तातंरण अथवा पट्टा विलेख में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के परिप्रेक्ष्य में निर्गत अधिसूचना संख्या- 13/संख्या-क0नि0-7-440/11-2015-700(111)/13 दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रतिबंधों के अधीन विलेख के निष्पादन के उपरान्त अवशेष आंशिक धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.i

भुगतान ब्याज का उल्लेख करते हुए किश्तों में दिये जाने के प्राविधान की दशा में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता का निम्नवत निर्धारण किया जायेगा:-

(1) पट्टा विलेख पर प्रीमियम की धनराशि एवं प्रथम 11 वर्ष के लिए आरक्षित लीज रेंट के योग में विलेख के निष्पादन की तिथि तक देय अथवा दी गयी, जो भी अधिक हो, ब्याज की धनराशि को जोड़कर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता निर्धारित की जायेगी।

(2) इसी प्रकार, विक्रय के प्रकरण में भी आंशिक प्रतिफल का भुगतान भविष्य में किश्तों में दिये जाने की दशा में विक्रय विलेख पर भी सम्पत्ति के मूल रूप से अवधारित मूल्य में विलेख के निष्पादन की तिथि तक देय अथवा दी गयी, जो भी अधिक हो, ब्याज की धनराशि को जोड़कर आगणित प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता निर्धारित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।